

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ला दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 73/2024

1. हेमाराम पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी चक 13 एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. प्रेमकुमार पुत्र तिलाकाराम जाति सुथार निवासी माणकथेड़ी हाल चक 13 एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. सुभाषचन्द्र पुत्र मनफूल जाति सुथार
4. साहबराम पिसरान भूराराम निवासीगण
5. जगदीश चक 13 एसटीबी
6. आनन्दकुमार पिसरान तहसील
7. रणजीतकुमार नत्थूराम पीलीबंगा
8. रामकुमार जिला
9. नत्थुराम पिसरान हनुमानगढ़
- 10 जगदीश प्रसाद सुलतानराम राजस्थान
11. बैजनाथ पुत्र रामलखन जाति मल्लाह (साहनी) निवासी सरामसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

— वादीगण

**बनाम**

1. दिनेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति सुथार निवासी चक 13 एस. टी.बी.
2. मनफुलराम पुत्र काशीराम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. सुरजाराम पुत्र तुलछाराम जाति सुथार निवासी चक 13 एस.टी.बी. हाल भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. गिरदावरी पुत्री तुलछाराम पत्नी पुर्णराम जाति सुथार निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
5. बाधु पुत्री तुलछाराम पत्नी वेदपाल जाति सुथार निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
6. कलावती पत्नी स्व. बलराम जाति सुथार निवासी चक 13 एस.टी.बी.
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. बलराम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
8. समस्ता पुत्री बलराम पत्नी हेमन्त जाति सुथार निवासी असरजाना
9. एकता पुत्री बलराम पत्नी जोगेन्द्र तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. केसर पुत्री भूराराम पत्नी लालचन्द जाति सुथार निवासी गोलुवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
11. सन्तो पुत्री भूराराम पत्नी साहबराम जाति सुथार निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
12. कलावती पुत्री भूराराम पत्नी औमप्रकाश जाति सुथार निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
- 13 कृष्णलाल जाति सुथार निवासी
- 14.भादरराम पिसरान चक 13 एसटीबी
15. श्योपतराम जीवनराम तहसील पीलीबंगा
16. हेतराम जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।



सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

17 सन्दीप पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 10/09/2024

वादीगण की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

1.वादी सं. 1 हेमाराम:-चक 5 बी.आर.पी. खाता सं. 97/10 प.न. 19/357 (32) किला नं. 22/253, 23/240, 0.013 हैक्. रास्ता पुर्व दिशा, 18/रू003 दक्षिण दिशा, 19/.003 दक्षिण दिशा, 9/0.033 की 0.545 हैक्. व इसी चक के खाता सं. 58/67 के प.न. 23/358 (45) किला नं. 2/1, 2/2, 9, 12 की 0.759 हैक्. कमांड मय रास्ता

2.वादी सं. 2 प्रेमकुमार:-चक 5 बी.आर.पी. के खाता सं. 97 / 10 प.न. 19/357 (32) के किला नं. 8/033 व इसी चक के खाता सं. 58/67 के प.न. 23/358 (45) के किला नं. 8/0.253 हैक्. भूमि ।

3.वादी सं. 4-5 साहबराम-जगदीश ब.हि.ब.:-चक 5 बी.आर.पी. खाता सं. 97/10 प.न. 19/357 (32) के किला नं. 8/.033, 12/247, 13/247, 18/.012 पुर्व दिशा की कुल 0.539 हैक्.

4.वादी सं. 6 से 10 आनन्द कुमार - रणजीत कुमार - रामकुमार पिसरान नत्थुराम व नत्थुराम पुत्र सुलतानराम का 1/2 हिस्सा-जगदीशप्रसाद का 1/2 हिस्सा-चक 5 बी.आर.पी. खाता सं. 97/10 प.न. 19/357 (32) के किला नं. 4-7-14-17-24/1.265, 25/253, 8/165 पुर्व दिशा की कुल 1.683 हैक्. नाली द्वितीय मय खाला, व इसी चक के प. न. 23/358 (45) के किला नं. 1/1, 1/2, 10, 11, 13 की 1.012 हैक्. नाली प्रथम मय रास्ता ।

5.वादी सं. 3 सुभाषचन्द्र-चक 5 बी.आर.पी. के खाता सं. 97/10 प.न. 19/357 (32) के किला नं. 9/.017, 8/.016 की कुल 0.033 हैक्.

6.वादी सं. 11 बैजनाथ -चक 5 बी.आर.पी. खाता सं. 97/10 प.न. 19/357 (32) के किला नं. 12/.006 दक्षिण दिशा, 13/006 दक्षिण दिशा, 18/0.238, 19/250 0.500 हैक्.


7. प्रतिवादी संख्या 17 -चक 5 बीआरपी के प.न. 23/356 मु.न. 27 किला न 19 ता 23 की 1.265 है व प.न. 23/357 मु.न 28 किला न 1/1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 की 3.036 है. कुल 4.301 है. नाली प्रथम मय गैर मु. खाला भूमि का खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम की जाती है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 10/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(अमितभ बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा